भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3723

बुधवार, 11 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

मेक इन इंडिया योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता

3723. श्रीमती संध्या रायः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'मेक इन इंडिया' योजना के अंतर्गत उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता किस प्रकार प्रदान की जाती है;

(ख) क्या ऐसी कंपनियों को उनके उत्पादों के निर्माण के लिए कर सहायता प्रदान की जाती है और उन्हें उनके उत्पादों को बेचने के लिए क्या कर राहत दी गयी है

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दो करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार से लाभान्वित हुई कंपनियों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार नाम क्या है;

(घ) अपने उत्पादों के निर्माण के लिए कंपनियों द्वारा स्थान-वार कितना कच्चा माल प्राप्त किया गया है जिनके संबंध में जानकारी मांगी गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच कराने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(च) क्या कई कंपनियां, केवल पुर्जे आयात करके उन्हें स्थापित करने में लगी है और उक्त को 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत लेबल लगाकर बेचती है जिससे उन्हें योजना का अनुचित लाभ मिलता है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (छ): 'मेक इन इंडिया' कोई स्कीम नहीं बल्कि प्रोत्साहन है जिसे 25 सितंबर 2014 को निवेश को आसान बनाने, नवपप्रयोग को बढ़ावा देने, विनिर्माण अवसंरचना को सर्वश्रेष्ठ बनाने, व्यवसाय करने को आसान बनाने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। (i) नीतिगत पहलों (ii) राजकोषीय प्रोत्साहनों (iii) अवसंरचना निर्माण (iv) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (v) नवप्रयोग और आर एंड डी (vi) कौशल विकास क्षेत्रों के अंतर्गत विशिष्ट कार्रवाई के लिए 21 प्रमुख क्षेत्रों में कार्रवाई योजना की पहचान की गई थी। इसके अलावा, 'मेक इन इंडिया' पहल की समीक्षा की गई है और अब 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा

रहा है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग 15 विनिर्माण क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं का समन्वय कर रहा है जबकि वाणिज्य विभाग 12 सेवा क्षेत्रों का समन्वय कर रहा है। 27 क्षेत्रों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

भारत सरकार संभावित निवेशकों की पहचान करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया और मेक इन इंडिया कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता सहित निवेश सुविधा के तहत निरंतर प्रयास कर रही है। मेक इन इंडिया के तहत देश में निवेश आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम, सम्मेलन, रोड-शो और अन्य प्रचार संबंधी क्रियाकलाप आयोजित करने हेतु विदेशों में भारतीय मिशनों और राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जा रही है। देश में एफडीआई को बढ़ावा देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायोग बढ़ाने हेतु निवेश पहुंच (आउटरीच) क्रियाकलाप आयोजित किए जा रहे हैं।

अप्रैल, 2014 से जून, 2019 के बीच कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह 305.21 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो अप्रैल, 2000 से भारत में संचयी एफडीआई का 48.5 प्रतिशत दर्शाता है। वर्ष 2018-19 में, 62 बिलियन अमरीकी डॉलर एफडीआई अंतर्वाह दर्ज किया गया जो एक वित्तीय वर्ष में अब तक का सर्वाधिक है जिसमें विशेष रूप से संचार सेवाएं, ऑटोमोटिव और ऑटो कंपोनेंट्स, निर्माण, रसायन और पैट्रोरसायन तथा पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेवा क्षेत्र शामिल हैं।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए उठाए गए कदमों में मौजूदा प्रक्रियाओं को सरल और युक्तिसंगत बनाना शामिल है। देश के निवेश संबंधी वातावरण को बेहतर बनाने के लिए किए गए उपायों के परिणामस्वरूप, विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर) 2020 के अनुसार विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की रैंक बेहतर होकर 63वें पायदान पर पहुंच गई है। यह व्यवसाय शुरु करने, करों के भुगतान, सीमापार व्यापार, और दिवालियापन के निपटान के क्षेत्र में हुए सुधारों के कारण हुआ है।

'मेक इन इंडिया' पहल के तहत उत्पाद विनिर्माण करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 11.12.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3723 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत 27 क्षेत्रों की सूची

(i) एयरोस्पेस और रक्षा
(ii) ऑटोमोटिव और ऑटो कंपोनेंट्स
(iii) फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस
(lv) जैव प्रौद्योगिकी
(v) कैपिटल गुड्स
(vi) कपड़ा और परिधान
(vii) रसायन और पेट्रो रसायन
(viii) इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम)
(ix) चमड़ा और फुटवेयर
(x) खाद्य प्रसंस्करण
(xi) रत्न और आभूषण
(xii) जहाजरानी
(xiii) रेल
(xiv) निर्माण
(xv) ` नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा
(xvi) सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस)
(xvii) पर्यटन और लॉजिस्टिक्स सेवाएँ
(xviii) चिकित्सा मूल्य यात्रा (मेडिकल वेल्यू ट्रेवल)
(xix) परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएँ
(xx) लेखा और वित्त सेवाएँ
(xxi) ऑडियो विजुअल सर्विसेज
(xxii) कानूनी सेवाएं
(xxiii) संचार सेवाएँ
(xxiv) निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं
(xxv) पर्यावरण सेवाएँ
(xxvi) वित्तीय सेवाएँ
(xxvii) शिक्षा सेवाएँ

*****